मध्य प्रदेश लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010

(क्रमांक 24 सन् 2010)

दिनांक 17 अगस्त, 2010 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधरण)" में दिनांक 18 अगस्त, 2010 को प्रथम बार प्रकाशित की गई

राज्य की जनता को निश्चित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करने तथा उससे संसक्त तथा आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने के लिये अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान–मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ— (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम **मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी [1][अधिनियम], 2010 है।**

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर होगा ।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएं –- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) **"पदाभिहित अधिकारी"** से अभिप्रेत है, धारा 3 के अधीन सेवा प्रदान करने के लिये इस रूप में अधिसूचित कोई अधिकारी ;

(ख) **"पात्र व्यक्ति"** से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो अधिसूचित सेवा के लिये पात्र है;

(ग) **"प्रथम अपील अधिकारी"** से अभिप्रेत है, ऐसा अधिकारी जो धारा 3 के अधीन इस रूप में अधिसूचित किया गया है;

(घ) **"विहित"** से अभिप्रेत है,इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित :

(ड.) **"सेवा का अधिकार"** से अभिप्रेत है, निश्चित की गई समय सीमा के भीतर धारा 4 के अधीन सेवा प्राप्त करने का अधिकार :

---

[1] क्रमांक 5392-इक्कीस-अ (प्रा.)-शुद्धि-पत्र दिनांक 6 सितम्बर, 2010 द्वारा शुद्ध किया गया। म.प्र. राजपत्र भाग 4 (ख) दिनांक 17 सितम्बर, 2010 पृष्ठ 1059 पर प्रकाशित।

(च) **"सेवा"** से अभिप्रेत है, धारा 3 के अधीन अधिसूचित कोई सेवा;

(छ) **"द्वितीय अपील प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है, ऐसा प्राधिकारी जो धारा 3 के अधीन इस रूप में अधिसूचित किया गया है:

(ज) **"राज्य सरकार"** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(झ) "**निश्चित की गई समय सीमा**" से अभिप्रेत है, धारा 3 के अधीन यथा अधिसूचित पदाभिहित अधिकारी द्वारा सेवा प्रदान करने या प्रथम अपील अधिकारी द्वारा अपील का विनिश्चय करने का अधिकतम समय ।

3. सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारियों, द्वितीय अपील प्राधिकारी तथा निश्चित की गई समय सीमाओं की अधिसूचना — राज्य सरकार, समय-समय पर, उन सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारियों, द्वितीय अपील प्राधिकारी तथा निश्चित की गई समय सीमा को अधिसूचित कर सकेगी जिनको यह अधिनियम लागू होगा ।

4. निश्चित की गई समय सीमा के भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार — पदाभिहित अधिकारी धारा 3 के अधीन अधिसूचित कोई सेवा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को, निश्चित समय सीमा के भीतर ऐसी सेवा प्रदान कराएगा ।

5. निश्चित की गई समय सीमा में सेवा प्रदान करना -- (1) निश्चित की गई समय-सीमा, अधिसूचित सेवा प्रदान करने के लिए यथा अपेक्षित आवेदन, पदाभिहित अधिकारी या उसके द्वारा आवेदन प्राप्त करने के लिए प्राधिकारी अधीनस्थ व्यक्ति को, प्रस्तुत करने की तारीख से प्रारंभ होगी। ऐसे आवेदन की सम्यक् रूप से अभिस्वीकृति दी जाएगी ।

उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित किये जाने हेतु प्रस्तावित संशोधन

(1) अधिसूचित सेवा प्राप्त करने के लिए आवेदन पदाभिहित अधिकारी को या इस प्रकार प्राधिकृत उसके अधीनस्थ को या ऐसे व्यक्ति को, जिसे राज्य सरकार आवेदन प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत करे, प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे आवेदन की सम्यक् स्वीकृति दी जाएगी । निश्चित की गई समय-सीमा ऐसा आवेदन प्रस्तुत किये जाने की तारीख से प्रारंभ होगी ।

(2) पदाभिहीत अधिकारी उपधारा (1) के अधीन आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर निश्चित की गई समय सीमा में या तो सेवा प्रदान करेगा या आवेदन नामंजूर करेगा और आवेदन नामंजूर करने की स्थिति में कारण अभिलिखित करते हुए आवेदक को सूचित करेगा ।

6. **अपील**--(1) कोई व्यक्ति जिसका आवेदन धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन नांमजूर कर दिया जाता है अथवा उसे निश्चित समय सीमा में सेवा प्रदान नहीं कराई जाती है, आवेदन नांमजूर होने

की तारीख से अथवा निश्चित समय सीमा के अवसान होने से तीस दिन के भीतर प्रथम अपील अधिकारी को अपील कर सकेगा :

परन्तु प्रथम अपील अधिकारी तीस दिन की कालावधि के अवसान होने के पश्चात् भी अपील स्वीकार कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील पस्तुत करने में पर्याप्त कारणों से प्रविरत रहा था ।

परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किये जाने हेतु प्रस्तावित संशोधन

[2][परन्तु यह और कि प्रथम अपील अधिकारी स्वप्रेरणा से, धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किए गए ऐसे आवेदन का, जो कि रद्द कर दिया गया हो या निश्चित की गई समय-सीमा से परे लंबित हो, अभिलेख मंगा सकेगा और ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह समुचित समझे।]

(2) प्रथम अपील अधिकारी पदाभिहित अधिकारी को विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सेवा प्रदान करने का आदेश दे सकेगा या अपील को रद्द कर सकेगा ।

[3][(2-क) अपील की सुनवाई के दौरान, यदि प्रथम अपील अधिकारी यह पाता है कि आवेदक द्वारा समस्त अपेक्षाओं की पूर्ति करने के बावजूद पदाभिहित अधिकारी द्वारा निश्चित की गई समय-सीमा के भीतर सेवा उपलब्ध नहीं कराई गई है, या यदि उसकी राय में पर्याप्त कारण समनुदेशित किए बिना आवेदन रद्द कर दिया गया है तो वह द्वितीय अपील प्राधिकारी को, पदाभिहित अधिकारी पर धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने हेतु निर्देश कर सकेगा ।]

(3) प्रथम अपील अधिकारी के विनिश्चय के विरूद्ध, द्वितीय अपील प्राधिकारी को ऐसे विनिश्चय की तारीख से 60 दिन के भीतर द्वितीय अपील की जा सकेगी :

परन्तु द्वितीय अपील प्राधिकारी, 60 दिन की कालावधि का अवसान होने के पश्चात् भी अपील स्वीकार कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील प्रस्तुत करने में कारणों से प्रविरत रहा था ।

परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत: स्थापित किये जाने हेतु प्रस्तावित संशोधन

[2] म.प्र. विधेयक क्रमांक 32 सन् 2011 द्वारा प्रस्तावित संशोधन । म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 24 नवम्बर, 2011 पृष्ठ 1011-1012 पर प्रकाशित ।

[3] म.प्र. अधिनियम क्रमांक 22 सन् 2011 की धारा 2 द्वारा (12-5-2011 से) अन्त: स्थापित । म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 12-5-2011 पृष्ठ 518-518 (1) पर प्रकाशित ।

परन्तु यह और कि द्वितीय अपील अधिकारी स्वप्ररेणा से, उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई ऐसी अपील का, जो कि रद्द कर की गई हो या प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष निश्चित की गई समय–सीमा से परे लंबित हो, अभिलेख मंगा सकेगा और आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह समुचित समझे।

(4) (क) द्वितीय अपील प्राधिकारी पदाभिहित अधिकारी को ऐसी कालावधि के भीतर सेवा प्रदान करने का आदेश दे सकेगा जैसी कि वह विनिर्दिष्ट करे या अपील को रद्द कर सकेगा ।

(ख) द्वितीय अपील प्राधिकारी सेवा प्रदान कराने के आदेश के साथ धारा 7 के उपबंधों के अनुसार शास्ति अधिरोपित कर सकेगा ।

(5)(क) यदि पदाभिहित अधिकारी द्वारा धारा 5 की उपधारा (1) का पालन नहीं किया जाता है तो ऐसे अनुपालन से व्यथित आवेदक प्रथम अपील अधिकारी को सीधे आवेदन प्रसतुत कर सकेगा । इस आवेदन का विनिश्चय उसी प्रकार होगा जैसा कि प्रथम अपील का होता है।

(ख) यदि पदाभिहित अधिकारी द्वारा धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन सेवा प्रदान करने के आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो ऐसे अननुपालन से व्यथित आवेदक द्वितीय अपील प्राधिकारी को सीधे आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। इस आवेदन का विनिश्चय उसी प्रकार होगा जैसा कि द्वितीय अपील का होता है।

(6) प्रथम अपील अधिकारी तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी को, इस धारा के अधीन अपील का विनिश्चय करते समय निम्नलिखित मामलों के संबंध में वही शक्तियां होगी जो कि, किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात् :-

(क) दस्तावेजों का प्रकटीकरण तथा निरीक्षण किए जाने की अपेक्षा करना ;

(ख) पदाभिहित अधिकारी तथा अपीलार्थी को सुनवाई के लिए समन जारी करना ; और

(ग) ऐसे अन्य विषय जो कि विहित किए जाएं ।

7. शास्ति-- (1) (क) जहाँ द्वितीय अपील प्राधिकारी की यह राय है कि पदाभिहित अधिकारी बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से सेवा प्रदान करने में असफल रहा है तो वह पदाभिहित अधिकारी पर ऐसी एकमुश्त शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो 500 रूपये से कम तथा 5000 रूपये से अधिक नहीं होगी ;

(ख) जहाँ द्वितीय अपील प्राधिकारी की यह राय है कि पदाभिहित अधिकारी ने बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से सेवा प्रदान करने में विलंब किया है तो वह पदाभिहित अधिकारी पर ऐसे विलंब

के लिए 250 रू. प्रतिदिन के मान से शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो अधिकतम 5000 रूपये हो सकेगी :

परन्तु पदाभिहित अधिकारी को, उस पर शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।

(2) जहाँ द्वितीय अपील प्राधिकारी की यह राय है कि प्रथम अपील अधिकारी ने बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से निश्चित समय सीमा में अपील का विनिश्चय करने में असफल रहा है तो वह प्रथम अपील अधिकारी पर ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो 500 रूपये से कम तथा 5000 रूपये से अधिक नहीं होगी ;

परन्तु प्रथम अपील अधिकारी को, उस पर शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा ।

(3) द्वितीय अपील प्राधिकारी उसके द्वारा यथास्थिति उपधारा (1) या (2) दोनों में अधिरोपित शास्ति में से ऐसी राशि प्रतिकर के रूप में, जो कि अधिरोपित शास्ति से अधिक नहीं होगी, अपीलार्थी को दिये जाने के आदेश दे सकेगा ।

(4) यदि द्वितीय अपील प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि पदाभिहित अधिकारी या प्रथम अपील अधिकारी बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से इस अधिनियम के अधीन उसे सौपे गये कर्तव्यों का पालन करने में असफल रहा है तो वह यथास्थिति उस लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करेगा ।

(5) (क) यदि आवेदक उपधारा (1) या (2) के अधीन द्वितीय अपील प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति, यदि कोई हो, से सन्तुष्ट नहीं है तो वह इस संबंध में धारा 6 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी को आवेदन कर सकेगा ।

(ख) नामनिर्दिष्ट अधिकारी यथास्थिति, प्रथम अपील अधिकारी या पदाभिहित अधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो पूर्व में अधिरोपित शास्ति, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए 5000 रूपये तक हो सकेगी तथा संबंधित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकेगा ;

परन्तु नामनिर्दिष्ट अधिकारी, आदेश में वर्णित किए जाने वाले पर्याप्त तथा विशेष कारण से शास्ति अधिरोपित किए जाने के बजाय केवल अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकेगा

(ग) इसके अतिरिक्त यदि नामर्दिष्ट अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि द्वितीय अपील प्राधिकारी ने अपर्याप्त शास्ति अधिरोपित की है या कार्यवाही लंबित रखी है या ऐसी रीति में कार्य किया है जो इस अधिनियम के क्रियान्वयन में सहायक नहीं है, तो वह सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस पर ऐसी शास्ति अधिरोपित कर

सकेगी जो 5000 रूपये तक हो सकेगी तथा उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकेगा ;

परन्तु नामनिर्दिष्ट अधिकारी , आदेश में वर्णित किए जाने वाले पर्याप्त तथा विशेष कारण से शास्ति अधिरोपित किए जाने के बजाय केवल अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकेगा ;

8. पुनरीक्षण — द्वितीस अपील प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन शास्ति अधिरोपित करने संबंधी दिये गये किसी आदेश से व्यथित पदाभिहित द्वारा इस अधिनियम के अधीन शास्ति अधिरोपित करने तारीख से 60 दिन की कालावधि के भीतर पुनरीक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी को आवेदन कर सकेगा जो विहित प्रक्रिया के अनुसार उसका निराकरण करेगा ;

परन्तु राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त आवेदन पर्याप्त कारण से समय पर नहीं दिया जा सका था तो वह ऐसे आवेदन को 60 दिन की उक्त कालावधि के अवसान हो जाने के पश्चात् भी ग्रहण कर सकेगा ।

8-क. नामनिर्दिष्ट अधिकारी के आदेश का पुनर्विलोकन —धारा 7 की उपधारा (5) के खण्ड (ग) के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित द्वितीय अपील प्राधिकारी उस आदेश की तारीख से 60 दिन की कालावधि के भीतर पुनर्विलोकन हेतु नामनिर्दिष्ट अधिकारी को आवेदन कर सकेगा । नामनिर्दिष्ट अधिकारी विहित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन का निराकरण करेगा :

परन्तु नामनिर्दिष्ट अधिकारी , यदि उसका समाधान हो जाता है कि उक्त पर्याप्त कारण से समय पर नहीं दिया जा सका था तो ऐसे आवेदन को 60 दिन की उक्त कालावधि के अवसान हो जाने के पश्चात् भी ग्रहण कर सकेगा।

9. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण - इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी ।

10. नियम बनाने की शक्ति— (1) राज्य सरकार , राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु नियम बना सकेगी ।

(2) राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये प्रत्येक नियम राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखे जाएगें ।

11.कठिनाइयां दूर करने की शक्ति – यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार , इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न होने वाले आदेश द्वारा कठिनाई दूर कर सकेगी ;

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने से दो वर्ष की कालावधि का अवसान होने के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

****